

मैनुअल-6

7.1 ग्रामीण विकास विभाग से संबद्ध बोर्ड, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

- संबद्ध संस्था का नाम एवं पता — जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।
- संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद्, समिति, निकाय या अन्य)
 - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)।
- संबद्ध संस्था की भूमिका (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)
 - 01.04.1999, जिला स्तर पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
- संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)
 - प्रबंधकारिणी
- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य — अभिकरण के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं बाइलॉज के अनुसार एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) के मार्गदर्शिका।
- मुख्य अधिकारी का नाम — उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।
- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते
 - 38 जिलों में ग्रामीण विकास अभिकरण।
- बैठक की आवृत्ति — कार्यपालिका समिति की एक मास में कम से कम एक बैठक एवं शासी निकाय की हर तीन माह में एक बैठक होती है।
- बैठक में जनता भाग ले सकती है ?— नहीं।
- बैठक के कार्यवृत्त तैयार की जाती है ?— हाँ।
- जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? अगर हाँ तो प्रक्रिया का विवरण।
 - हाँ। विहित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिला के लोक सूचना अधिकारी से।